



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 07.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट में वांछित 03 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-



दिनांक 06/09/2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर तथा स्वयं के पर्यवेक्षण में मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत अपराधों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के तहत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0 के0 गौतम व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री राम प्रवेश राय के कुशल पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक श्री बलराम सिंह मय हमराह उ0नि0 श्री उ0नि0 केशवराम , हे0का0 राजेन्द्र सिंह भदौरिया , का0 कृष्णपाल यादव, का0 अजीत कुमार, चालक

हे0का0 शिवराम के द्वारा मु0अ0सं0 397/2021 धारा 376डी भादवि एवं 3/4 व 11(V) पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. राज उर्फ सुनील पुत्र नारायण दास उम्र 22 वर्ष निवासी पीडब्लूडी डाक बंगले के अन्दर थाना कोतवाली नगर महोबा जनपद महोबा 2. प्रदीप तिवारी पुत्र लल्लू तिवारी निवासी कमलखेडा थाना खरेला जिला महोबा हाल पता राठ चुंगी के बगल महोबा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा उम्र 19 वर्ष 3. सूरज शर्मा पुत्र श्री बृजेश शर्मा निवासी मु0 गांधीनगर महोबा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा उम्र करीब 18 वर्ष को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया।

बरामदगी -

अभियुक्तगण के कब्जे से 03 अदद मोबाइल बरामद होना।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. राज उर्फ सुनील पुत्र नारायण दास उम्र 22 वर्ष निवासी पीडब्लूडी डाक बंगले के अन्दर थाना कोतवाली नगर महोबा जनपद महोबा
2. प्रदीप तिवारी पुत्र लल्लू तिवारी निवासी कमलखेडा थाना खरेला जिला महोबा हाल पता राठ चुंगी के बगल महोबा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा उम्र 19 वर्ष
3. सूरज शर्मा पुत्र श्री बृजेश शर्मा निवासी मु0 गांधीनगर महोबा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा उम्र करीब 18 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री बलराम सिंह
2. उ0नि0 श्री उ0नि0 केशवराम
3. हे0का0 राजेन्द्र सिंह भदौरिया
4. का0 कृष्णपाल यादव
5. का0 अजीत कुमार
6. चालक हे0का0 शिवराम



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 07.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



कोतवाली पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र सहित 03 नफर शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

दिनांक 06/09/2021 को पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुधा सिंह के कुशल नेतृत्व में वांछित/वारण्टी अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर० के० गौतम व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री राम प्रवेश राय के कुशल पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक श्री बलराम सिंह के द्वारा गठित टीम ने अभियुक्तगण 1. चीकू उर्फ तफज पुत्र हफीज अहमद निवासी मु० मिल्कीपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा जनपद महोबा उम्र 21 वर्ष के कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर मय 01 जीवित कारतूस 315 बोर 2. मनु उर्फ अरबाज सिद्दीकी पुत्र हफीज अहमद निवासी मु० मिल्कीपुरा थाना कोतवाली जनपद महोबा उम्र 20 वर्ष के कब्जे से 01 अदद तमन्चा व 1 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर 3. कल्लू उर्फ फैजान सिद्दीकी पुत्र हफीज अहमद निवासी मु० मिल्कीपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा जनपद महोबा उम्र 19 वर्ष के कब्जे से एक अदद तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस व 4 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद करते हुये गिरफ्तार कर क्रमशः. मु०अ०सं० – 399/2021 , 400/21 , 401/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री आशुतोष त्रिपाठी
2. का० लालजीत
3. का० धीरेन्द्र कुमार
4. का० अभिषेक पाण्डेय

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. चीकू उर्फ तफज पुत्र हफीज अहमद निवासी मु० मिल्कीपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा जनपद महोबा उम्र 21 वर्ष
2. मनु उर्फ अरबाज सिद्दीकी पुत्र हफीज अहमद निवासी मु० मिल्कीपुरा थाना कोतवाली जनपद महोबा उम्र 20 वर्ष
3. कल्लू उर्फ फैजान सिद्दीकी पुत्र हफीज अहमद निवासी मु० मिल्कीपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा जनपद महोबा उम्र 19 वर्ष





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 07.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



पुलिस अधीक्षक कैम्प कार्यालय अवस्थित साइबर सेल ने साइबर ठगी का शिकार हुये आरक्षी के पैसे वापस कराकर चेहरे पर लौटाई मुस्कान, आरक्षी ने कहा धन्यवाद एसपी सर।

जनपद महोबा में साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनसामान्य को समय-समय पर जागरूक किया जाता रहा है, इसके साथ ही साथ साइबर अपराधों की सूचना मिलने पर मीडिया सेल के द्वारा तत्काल साइबर सेल को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भी सूचित किया जाता रहा है, जिसके अनुक्रम में आवेदक आरक्षी विक्रम सिंह पटेल थाना पनवाडी जनपद महोबा के साथ फर्जी फिलपकार्ट कस्टमर केयर बनकर कॉल करके उक्त आरक्षी के खाते से **38,799/- रुपये** निकाल लिये गये थे, जिस पर पीड़ित उक्त आरक्षी ने पुलिस अधीक्षक महोबा को अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में फर्जी फिलपकार्ट कस्टमर केयर बनकर खाते से **38,799/- रु** निकलने सम्बन्धी शिकायत की थी। ठगी की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल साइबर सेल को जाँच सौंपी गयी जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए साइबर सेल ने फ्रॉड की गयी कुल धनराशि को सम्बंधित बैंक व फोन-पे से सम्पर्क करके फ्रॉड खाते को फ्रीज कर रुपये सुरक्षित कर लिये गये। धोखाधड़ी की रकम मिलने पर पीड़ित आरक्षी द्वारा पुलिस अधीक्षक और साइबर सेल की सराहना करते हुए बताया गया की मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा पैसा वापस मिलेगा परन्तु पुलिस अधीक्षक महोदय और साइबर सेल टीम द्वारा त्वरित और समयबद्ध कार्यवाही कर मुझे न्याय दिलाया गया।

साइबर सेल टीम:-

1. उ0नि0 राहुल परमार
2. कां0 सत्यम सिंह
3. कां0 शैलेन्द्र
4. कां0 सुजीत कुमार





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 07.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना कबरई पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार



आज दिनांक 07/09/2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे वांछित / वारंटी / टापटेन अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में, थानाध्यक्ष कबरई श्री दिनेश सिंह के द्वारा गठित टीम के द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु.अ.सं. 271/21 धारा147/148/323/504/

506/307/386/427 भादवि के वांछित चल रहे अभियुक्तगण 1. सारथ ब्यास पुत्र सन्त शरण ब्यास उम्र 39 वर्ष , 2. प्रमोद पुत्र शिवपाल यादव उम्र 30 वर्ष, 3. लोकेश कुमार विश्वकर्मा पुत्र मंगल दास विश्वकर्मा उम्र 19 वर्ष , 4. आशाराम पुत्र श्याम विश्वकर्मा उम्र 45 वर्ष निवासीगण सिंघनपुर बघारी थाना कबरई महोबा को मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. सारथ ब्यास पुत्र सन्त शरण ब्यास उम्र 39 वर्ष
2. प्रमोद पुत्र शिवपाल यादव उम्र 30 वर्ष
3. लोकेश कुमार विश्वकर्मा पुत्र मंगल दास विश्वकर्मा उम्र 19 वर्ष
4. आशाराम पुत्र श्याम विश्वकर्मा उम्र 45 वर्ष निवासीगण सिंघनपुर बघारी थाना कबरई महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 महेन्द्र सिंह तोमर
2. कां0 मनीष कुमार
3. कां0 संजय कुमार,
4. रि0कां0 राहुल रंजन,
5. रि0कां0 शुभम जायसवाल



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 07.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना अजनर पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री तेजबहादुर सिंह के निकट पर्यवेक्षण में अभियान के तहत दिनांक 06.09.2021 को प्रभारी थाना अजनर श्री रामप्रताप यादव द्वारा गठित पुलिसटीम ने मुखविर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.सं. 154/2021 धारा 379 भादवि व बढोत्तरी धारा 411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त आशीष द्विवेदी पुत्र स्व बसन्त उम्र 22 वर्ष निवासी कस्वा व थाना अजनर जिला महोबा को स्यावन तिराहे से गिरफ्तार किया गया बाद आवश्यक कार्यवाही कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

नाम व पता अपराधी -

आशीष द्विवेदी पुत्र स्व बसन्त उम्र 22 वर्ष निवासी कस्वा व थाना अजनर जिला महोबा

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:-

1. प्रभारी थाना रामप्रताप यादव थाना अजनर जनपद महोबा
2. हे.का. सत्यप्रकाश दीक्षित थाना अजनर जनपद महोबा
3. का. कुवरपाल थाना अजनर जिला महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 07.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



“मिशन शक्ति - 3.0” के अंतर्गत महोबा पुलिस द्वारा भिन्न-भिन्न स्थानों में “चौपाल लगाकर” बालिकाओं एवं महिलाओं को किया जा रहा है जागरूक-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा मिशनशक्ति फेज 3.0 अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम के पर्यवेक्षण में तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों एवं प्रभारी निरीक्षकों/थाना प्रभारियों, थानों पर नियुक्त महिला बीट आरक्षियों सहित एन्टी रोमियों स्कवायड को अपने अपने थाना क्षेत्रों में बालिकाओं/ छात्राओं एवं महिलाओं को महिला अपराधों के प्रति जागरूक, स्वावलम्बी व आत्म रक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

इसी क्रम में आज दिनांक 07.09.2021 को नोडल अधिकारी मिशन शक्ति निरीक्षक रचना सिंह मय टीम द्वारा थाना कोतवाली महोबा के ग्राम किडारी में तथा थाना पनवाडी प्र0नि0 दीपक कुमार पाण्डेय मय म0कां0 के द्वारा थानाक्षेत्र के हामीदिया इण्टर कालेज व थानाध्यक्ष महोबकंठ श्री सुनील कुमार तिवारी मय म0कां0 के साथ पं0 दीनदयील उपाध्याय राजकीय मॉडल इण्टर कालेज कनकुआ थाना महोबकंठ में तथा इसी क्रम में महिला थाना प्रभारी उ0नि0 शिल्पी शुक्ला मय टीम द्वारा थाना कोतवाली महोबा अन्तर्गत मोहल्ला सुभाषनगर में जाकर “चौपाल लगाकर” मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं की शिकायतों की सुनवाई की गयी तथा “मिशन शक्ति” के सम्बन्ध में सभी बालिकाओं/महिलाओं को जागरूक किया एवं उनकी समस्याओं को सुनकर निस्तारण किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं/महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता हेतु संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों 1090 वूमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 108 एंबुलेंस सेवा, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 155260 साइबर सुरक्षा आदि के बारे में भी जागरूक किया गया तथा प्रत्येक थाने पर महिला शिकायतकर्ता के लिए स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में भी विस्तार

से जानकारी दी गई जहां पर कोई भी महिला/बालिका निर्भीक होकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 07.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने अवैध शराब सहित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार



अभियुक्ता श्रीमती मुस्कान पत्नी अच्छेलाल कबूतरा उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम कबूतरा डेरा सेलामाफ थाना श्रीनगर जिला महोबा को गिरफ्तार कर अभियुक्ता के कब्जे से एक प्लास्टिक के सफेद डिब्बा में 15 ली0 देशी कच्ची नाजायज शराब बरामद कर अभियुक्ता के विरुद्ध थाना स्थानीय पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए मु.अ.सं. 142/21 धारा 60 EX ACT पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण -

श्रीमती मुस्कान पत्नी अच्छेलाल कबूतरा उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम कबूतरा डेरा सेलामाफ थाना श्रीनगर जिला महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.उ0नि0 राजेन्द्र प्रकाश
- 2.का0 तेज सिंह
- 3.म0का0 खुशबू यादव

आज दिनांक 07/09/2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी महोदय चरखारी के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे अवैध शराब/शस्त्र/जुआ बरामदगी अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर अनिल कुमार द्वारा गठित टीम के द्वारा



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 07.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा एवं जनपदीय पुलिस द्वारा जनपद में पैदल गस्त करके कस्बे में की गई संदिग्धों की चेकिंग



आज दिनांक 07.09.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय द्वारा कोतवाली पुलिस के साथ महोबा शहर में संदिग्धों की चेकिंग कर व्यापारियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया तथा जनपद में शान्ति/कानून-व्यवस्था के मद्देनजर समस्त थानों द्वारा अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, ढाबा आदि जगहो पर पैदल गस्त करके संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की गई तथा सुरक्षा के दृष्टिगत मन्दिरों में पुलिस तैनात किया गया है, साथ ही लोगो को कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के प्रति सचेत करते हुए मास्क का प्रयोग व 02 गज की दूरी सहित कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। इसी क्रम में

जनपदीय पुलिस द्वारा शराब कि दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

यातायात नियमो के उल्लंघन पर **84 ई-चालान** एवं कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर **07 व्यक्तियों में 900रु0** वसूला गया।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 07.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



Mahoba Police